संख्या-33 /2024/2072 /001-17-1002-099-4-2021 Part-1

प्रेषक,
हरीश कुमार,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
महानिदेशक,
मत्स्य विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ : दिनांक 27 नवंबर, 2024

विषय:- प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2024-25 हेतु अनूसूचित वर्ग के लिए अनुदान संख्या-83 में प्राविधानित धनराशि रू0 1200.00 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2021-22 वर्ष 2022-23, वर्ष 2023-24 तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार द्वारा अवमुक्तन केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश (रू0 110.93333 लाख +रू0 102.14667 लाख+ रू0 186.10667 लाख+ रू0 98.35333+ रू0 69.38000 लाख) कुल रू0 566.92 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, उसे एकमुश्त आहरित कर एस0एन0ए0 खाते में अन्तरित करने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-505 /नि0शा0/PMMSY-SNA/ 2024 -25 दिनांक 25 अक्टूबर, 2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2024-25 हेतु अनूसूचित वर्ग के लिए अनुदान संख्या-83 में प्राविधानित धनराशि रू0 1200.00 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2021-22 वर्ष 2022-23, वर्ष 2023-24 तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैंचिग राज्यांश (रू0 110.93333 लाख +रू0 102.14667 लाख+ रू0 186.10667 लाख + रू0 98.35333+ रू0 69.38000 लाख) कुल रू0 566.92 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, उसे एकमुश्त आहरित कर एस0एन0ए0 खाते में अन्तरित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अत: इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति वर्ग हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-83, लेखा शीर्षक-2405-मछली पालन के अन्तर्गत 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना,89- केन्द्र प्रोयोजित योजनाओं का संगत राज्यांश, 8903- प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) 20-सहायता अनुदान -सामान्य (गैरवेतन) में प्राविधानित धनराशि रू0 1200.00 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2021-22 वर्ष 2022-23, वर्ष 2023-24 तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैंचिग राज्यांश (रू0 110.93333 लाख +रू0 102.14667 लाख+ रू0 186.10667 लाख + रू0 98.35333+ रू0 69.38000 लाख) कुल रू0 566.92 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए,उक्त धनराशि को एस0एन0ए0 खाते में अन्तरित किये जाने की अनुमति श्री राज्यपाल अधोलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/ व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य-योजना एवं मदों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपलब्ध धनराशि की सीमान्तर्गत किया जायेगा।
(2) भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करेगें तथा अवमुक्त धनराशि की सीमान्तर्गत उन्ही परियोजनाओं में व्यय करना सुनिश्चित करेंगे, जो भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।
(3) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारीकी स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्तकर ली जाये।
(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही उसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।
(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं वर्षों और उन्हीं स्वीकृत परियोजनाओं के सापेक्ष किया जायेगा, जिस वर्ष व परियोजना के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त व स्वीकृत की गयी थी।
(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय / उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
(7) ऑकडो की शुद्धता का दायित्व निदेशक मत्स्य / सम्बन्धित अधिकारी का होगा।
(8) भारत सरकार के पत्रांक जे0- 18001/1/2017-एफवाई, दिनांक 23.04.2021 के प्रस्तायर-3 (II) के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु पी0एफ0एम0एस0/ डी0बी0टी0 प्लेटफार्म का उपयोग करने, धनराशि का व्यय करने व उपभोग प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित कराये जाने के दिये गये निर्देशों व अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।
(9) धनराशि का आवंटन/एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है,जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो,तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(10) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ- साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मेनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टेण्डर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।
(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/ व्यय वित्त)(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 5,66,92,000 (रुपये पाँच करोड़ छियासठ लाख बानबे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 2405007898903 प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)- **मानक मद** 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-1-214-X-2024-25 दि॰ 26-11-2024, दिनांक नवंबर, 2024 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Signed by Harish Kumar
Ashok अनु सचिव।
Date: 27-11-2024 13:47:55

संख्या-33 /2024/ 2672 /001-17-1002-099-4-2021 Part-1, तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन उ0प्र0 लखनऊ।
4. उप निदेशक मत्स्य (नियोजन) मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त एवं लेखाधिकारी,मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
6. सम्बधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ), उ0प्र0 शासन।
8. वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1 /वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 /नियोजन अनुभाग-3।
9. गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(हरीश कुमार)
अनु सचिव।